



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

भोपाल, मंगलवार दिनांक 9 जून 2015—ज्येष्ठ 19, शक 1937

परिवहन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 जून 2015

क्र. एफ 22-09-2014-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग क) के साथ पठित धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है जिनका, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण) में दिनांक 29 नवम्बर 2014 को पूर्व में प्रकाशन किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 66 में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(छ) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग क) के अधीन जिले के भीतर साधारण एवं ग्रामीण मार्गों का निश्चित किया जाना。”

No. F. 22-09-2014-VIII.—In exercise of the powers conferred by clause (c a) of sub-section (3) of Section 68 read with Section 96 of the Motor Vehicle Act,, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 24th November 2014 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 66, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

“(g) to formulate ordinary and rural routes within district under clause (c a) of sub-section (3) of Section 68 of Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988).”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.